

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए) (छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थीयों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र (बाण्ड) का ग्राहक)

1. मैं पुत्र/पुत्री/पति श्री निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एम्बीबीएस पाठ्यक्रम हेतु ज्ञामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "पीएमटी-....." प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में सीट आबटिंग की गई है।
3. यह कि वर्ष की काउंसिलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, राज्यस्थ एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नरसंग्रहीय राज्यपुर की अधिसूचना ग्रामांक रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एम्बीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भौति समझा लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कांडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियों दी गई हैं, जिसे मैंने भली-भौति समझा लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
4. मैं एतद द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ कि मैं एम्बीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूँगा/करूँगी।
5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल रूपान्तर से अधिवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री पुत्र/पुत्री/पति श्री की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये शब्दों में (रूपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी होने के प्रश्नात में संचालक विकितसा शिक्षा को उक्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा / कर्तव्यी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा।
9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छ माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वरक्ष्य एवं प्रशिक्षण कल्याण विभाग नियुक्त आदेश जारी नहीं करते हैं तो यह बंधपत्र स्वभेद निरस्त समझा जावेगा।
10. यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाह की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


गवाह : -

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2.....हस्ताक्षर



आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 61



गवाह 62

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....

उपरोक्त अनुसार बंध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बंध पत्र के उल्लंघन की दशा में बंध पत्र में उल्लेखित साँझे मेरी चल व अचल संपत्ति से धरूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अधिर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युजिसियल स्टाप्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अधिर्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का
प्रारूप

- मेरा पुत्र/पुत्री आमज/आमजा श्री
 निवासी छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक
 पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अध्यर्थी हूं।
1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भवालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक दिनांक "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम -" एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
 2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामाज्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
 3. मैं एतद द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि -
 (क) मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/संस्था में कार्य करेगा/करेगी।
 (ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
 (ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात् किये जा सकेंगे।
 (घ) यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित लीट का परियाग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 25 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

प्रता

फोन नं.
अभिभावक

अभिभावक वा फोटो	प्रतीक्षिकरा वा फोटो
अभिभावक	प्रतीक्षिकरा


हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....
उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की
 जायेगी।


गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित :-

1.....
 हस्ताक्षर



गवाह नं.
01 का
फोटो

2.....
 प्रतिभूतिकर्ता



गवाह नं.
02 का
फोटो

1. गवाह

2. गवाह

नाम.....

पता.....